INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

बाल–अपराध एवं अधिकार

डॉ इन्द्रजीत **डॉ प्रविण्यलता मारकण्डेय**

प्रस्तावना – बालक राष्ट्र के भविष्य है पर उन्हें भी उस समाज में रहना पड़ता है जिसके कि वे सदस्य है। अतः उस समाज की बुरी परिस्थितियों जैसे टूटे और अनैतिक परिवार, गंदी बस्तियां, निर्धनता, बुरी संगत, दोषपूर्ण शिक्षा–प्रणाली,अस्वस्थ मनोरंजन के साधनों आदि का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है और बालक गलत रास्ते पर चले जाते है, अवारागर्दी करते है और अपने बुरे आचरणों के द्वारा कानून को तोड़ते व समाज–विरोधी कार्यों को करते है। ये ही बाल अपराधी कहलाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि बाल–अपराधियों की समस्या का समाधान समाज की उन्नति एवं विकास के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि किसी भी समाज में बाल–अपराधियों की संख्या में वृद्धि उस समाज के लिए एक प्रकार के खतरे की घंटी होती है।

समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण – समाशास्त्रियों, अपराधियों एवं कानून–वेत्ताओं ने बाल–अपराध को अलग–अलग रूपों में देखने का प्रयास किया है, जिसके कारण इनके विचारों मे भिन्नता दिखती है। इसके अतिरिक्त किस आयु या किस आयु तक के बालकों की श्रेणी में रखा जावें। किसी राष्ट्र व देश ने 7–14 वर्ष, किसी देश ने 7–15 वर्ष तो किसी देश ने 11–18 वर्ष की आयु सीमा को निश्चित किया, जबकि भारत में 14–18 वर्ष की आयु सीमा निश्चित की गयी, अर्थात् निश्चित आयु सीमा के बालकों द्वारा किया जाने वाला समाज–विरोधी व्यवहार बाल अपराध होगा। इसमें राष्ट्र की सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, यानि भारत द्वारा निश्चित सीमा में यदि कोई समाज विरोधी कार्य अपराध हो सकता है।

डॉ सेथना – बाल अपराध के अंतर्गत किसी राज्य विशेष में उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है।

भारत में बाल अपराध की समस्या को कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों की सहायता से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम बाल–अपराध मुख्य रूप से एक नगरीय समस्या है। बड़े–बड़े नगरों मे मध्यम वर्ग के बहुत से परिवारों में माता–पिता द्वारा नौकरी करने के कारण बच्चों पर परिवार का नियंत्रण नहीं रहा जाता। निम्न आर्थिक वर्गों में बच्चों का जीवन आरंभ से ही उच्च श्रृंखला बनने लगता है। धीरे–धीरे बुरी संगति के कारण बहुत से बच्चे अपराध करने लगते हैं। दूसरी बात है कि भारत में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक अपराध करते हैं। इसके बाद भी लड़कियों द्वारा किए जाने वाले बाल अपराधियों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि होने लगी है। तीसरे बाल अपराधी के सबसे अधिक मामले जुआ खेलने, जेब काटने, चोरी करने तथा मामूली तस्करी करने से संबंधित पाये गए। कुल बाल–अपराधों में ऐसे अपराधों का प्रतिशत 42 सें भी अधिक पाया गया। चौथे बाल अपराध की समस्या मुख्य रूप से उन संगठित गिरोंहों से संबंधित है जो निर्धन वर्ग के बच्चों को बहला–फुसलाकर उन्हें तरह–तरह के अपराध करने का प्रशिक्षण देते हैं। यदि आयु के आधार पर इस समस्या का मूल्यांकन किया जाय तो ज्ञात होता है कि सबसे अधिक बाल–अपराध 12–16 वर्ष के आयु के बच्चों द्वारा किये जाते हैं। भारत में अवैध रूप से नशीले पदार्थों को बेचने में भी कम आयु के बहुत से बच्च लिप्त पाए गए। गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बाल अपराधियों में 91

प्रतिशत बाल अपराधी वे बच्चे हैं जो या तो पूरी तरह अशिक्षित है अथवा माध्यमिक स्तर से उपर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। बाल–अपराधियों में 85 प्रतिशत से अधिक बच्चे वे हैं जिन्होने पहली बार अपराध किया। बाल–अपराध एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है, लेकिन अधिकांश बाल–अपराध आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि पारिवारिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं का परिणाम होते है।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश में लागू किए गए कुछ प्रमुख कानूनः–

(1) बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 व 1986

(2) बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986

(3) प्रसव पूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994

(4) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2000 संशोधित 2006

(5) बाल अधिकार सरंक्षक आयोग अधिनियम 2005

(6) अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

(7) लैंगिक अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम 2012

बच्चों के अधिकार–

बाल अधिकारों को अपनाना और उनका सरंक्षण करना प्रत्येक देश व समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है, क्योंकि जितना अधिक बच्चों को संतुलित रूप से और समग्र रूप से विकसित किया जायेगा उतने ही सशक्त राष्ट्र और समाज का निर्माण भविष्य में होगा।

बच्चों के लिए अधिकारों का सरक्षण इसलिये भी जरूरी है क्योंकि बच्चे मासूम,विश्वास करने वाले व उम्मीदों से भरे होते हैं। बच्चों का जीवन धीरे–धीरे सुरक्षित व हर संभव तरीके से अनुभवों के साथ बढ़ना चाहिए। एक सुदृढ़ व्यस्क जीवन की नींव एक सुरक्षित व समृद्ध बचपन में छीपी होती है। उत्साह और उमंग से भरी बचपन हर बच्चे का अधिकार है।

बाल अधिकारों का चार भागों में बांटा गया हैः–

(1) जीवन का अधिकार – इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को जीवन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आवश्यक पोषण आहार पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार और एक नाम तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) विकास का अधिकार – इसके अंतर्गत बच्चों का शैशव व बाल्य अवस्था में देखभाल का, शिक्षा प्राप्त करने का, खेल और अवकाश का, मनोरंजन, रचनात्मकता व सांस्कृतिक विकास का, सामाजिक देखभाल और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

(3) सरंक्षण का अधिकार – इसके अंतर्गत बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाव का अधिकार ,अमानवीय व्यवहार से बचाव का अधिकार, आपातकाल हिंसा और सशस्त्र विरोध व आंतरिक उथल–पुथल जैसी परिस्थितियों में विशेष सरंक्षण का अधिकार नशे और वेश्यावृत्ति से बचाये जाने का अधिकार प्राप्त है।

(4) सहभागिता का अधिकार – इसके अंतर्गत बच्चों को अपनी बात रखने का, सूचनाओं तक पहुंचने का, अपना पथ चुनने का और उनके दृष्टिकोण का सम्मान किये जाने का अधिकार प्राप्त है।

बच्चों तक इन अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिये भारत में कई विशेष कानून बनाये गये है, जिनमें बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम, बाल अधिकार सरंक्षण आयोग अधिनियम प्रमुख है।

विधि के उल्लंघन के प्रकरणों तथा व्यस्कों द्वारा बच्चों के प्रति किए गए अपराधों संबंधी आकड़ों का संकलन पुलिस मुख्यालय से किया गया इसकी स्थिति निम्नानुसार पाई गई।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत बच्चों के प्रति क्रूरता या अपराध के मामले की जानकारी

(धारा 376, 360,361,363,363(ए),366,367,369,384,366(ए),370 से 373,305,315,312 से 315 एवं 318 भारतीय दण्ड विधान के अतंर्गत दर्ज प्रकरण के आंकड़े निम्न हैं–

वर्ष	आकड़े
2011	790
2012	820
2013	2769

विशेषः– पुलिस विभाग ने जानकारी के साथ यह अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.05.2013 के तहत प्रदेश मे गुम इंसान के दर्ज मामले में अपराध दर्ज किये जाने के कारण में वर्ष 2013 के अपराधों में अत्यधिक वृद्धि पंजीबद्ध हुई हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में नाबालिग बच्चों द्वारा भारतीय दण्ड विधान के लिए किये गये अपराधों की तुलनात्मक जानकारी वर्ष 2011,2012,2013

क्रं	मामले का विवरण	वर्ष2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	महायोग
1	हत्या	29	37	34	100
2	हत्या का प्रयास	20	28	23	71
3	बलात्कार	56	65	97	218
4	अपहरण	16	33	31	80
5	शीलभंग	51	49	95	195

6	डकैती	02	02	02	06
7	लूट	26	18	14	58
8	गृह–भेदन	154	152	130	436
9	चोरी	171	144	148	91
10	बलवा	30	35	26	01
11	अमानत में खैयानत	6	0	01	01
12	धोखाधड़ी	03	05	0	08
13	जालीनोट	03	0	0	03
14	आगजनी	02	05	01	08
15	चोट	244	281	306	831
16	अन्य भा.द.वि.	450	389	346	1185
	कुल	1257	1243	1254	3754

निष्कर्षः– प्रदेश में लैंगिक अपराधों से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम के अंतर्गत 14 नवम्बर 2012 से 31 मार्च 2014 तक कुल 1051 मामले दर्ज किये गये है। इससे यह स्पष्ट है कि समाज में नैतिकता को बचाये रखने और उत्कृष्ट चरित्र निर्माण करने की आवश्यकता है।

संदर्भग्रंथ सूचीः–

(1) सुनील गोयल, संगीता गोयल 'भारत में सामाजिक परिवर्तन' आर.बी.एस.ए पब्लिकेशन्स जयपुर 2003
(2) रवीन्द्रनाथ मुकर्जी 'भारत में सामाजिक परिवर्तन विवेक प्रकाशन दिल्ली 2003
(3) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग रायपुर वार्षिक प्रतिवेदन 2013–14

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM